

**जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त का कार्यालय,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।
(जिला पंचायत शाखा)**

—: आदेश :—

सरकार के सचिव, ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज), झारखण्ड, राँची के अधिसूचना सं०-80 दिनांक 28.04.2016 एवं सचिव, ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज), झारखण्ड, राँची के पत्रांक 1453/राँची, दिनांक 03.05.2016 के निदेशानुसार निम्नांकित अभ्यर्थियों को 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत संविदा के आधार पर कनीय अभियंता के पद पर मासिक मानदेय 17000.00 (सत्रह हजार) रू० में पूर्णतः अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है :-

अनारक्षित कोटि में नियुक्त अभ्यर्थियों की सूची

क्रम	मेधा क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	पता
1	1	यशस्वी	पिता- श्रीराम पोद्दार	पुरानी बस्ती रोड, पो०-जुगसलाई, जमशेदपुर
2	2	त्रिदिबेश पालित	पिता- आशीष पालित	करनडीह, दुखुटोला, जमशेदपुर
3	3	अमन	पिता- अजय कुमार सिन्हा	सुवर्णरेखा अपार्टमेंट, डाक बंगला रोड, घाटशिला
4	4	काशीनाथ मुर्मू	पिता- ठाकुर राम मुर्मू	ग्रा०-बालिजुड़ी, पो०-कालिकापुर, पोटका
5	5	अजीत कुमार महतो	पिता- मोहिनी मोहन महतो	ग्रा०-खड़बन्दा, पो०-कालापाथर, चाकुलिया
6	6	सुजीत कुमार राणा	पिता- घासीराम राणा	G/5, ब्लॉक-ए, मधुसूदन, राजेश्वर भवन, टीचर्स कॉलोनी, डिमना रोड, मानगो, जमशेदपुर
7	7	अनुपम साहु	पिता- बिमलेन्दु साहु	पाटपुर, पो०-बहरागोड़ा
8	8	गौरव राज गुप्ता	पिता- शत्रुघ्न प्रसाद गुप्ता	ग्रा०-कालीमाटी, पो०-महुलिया, गालुडीह
9	9	साहनी भूषण सिंह	पिता- रिषीदेव प्रसाद सिंह	अम्बेदकरनगर, हरहरगुट्ट, बागबेड़ा, जमशेदपुर
10	10	राजेश कुमार राउत	पिता- विश्वनाथ राउत	बैंक कॉलोनी, पोस्ट आफिस रोड, मानगो, जमशेदपुर
11	11	शम्मी तिग्गा	पिता- जय मशीह तिग्गा	H.No-124, रोड नं०-6, जवाहरनगर, आजादनगर

अ०जा०कोटि में नियुक्त अभ्यर्थियों की सूची

क्रम	मेधा क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	पता
1	14	मानिक चन्द्र सीट	पिता- संतोष कुमार सीट	कालिकापुर, पोटका

अ0ज0जा0कोटि में नियुक्त अभ्यर्थियों की सूची

क्रम	मेधा क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	पता
1	13	सुधीर कुमार हाँसदा	पिता- करण हाँसदा	रेरुआं, पो0-मुड़ाठाकुरा, गुड़ाबान्दा
2	20	अमित रितेश कुजूर	पिता- अनिल कुजूर	न्यू उलीडीह, टैंक रोड, मानगो
3	23	दिनेश कुमार महाली	पिता- स्व0 चरण महाली	लतिया (डुंगरीडीह), पो0-बादिया, मुसाबनी
4	24	बाबूलाल हेम्ब्रम	पिता- सोरेन हेम्ब्रम	डामडीह, बांकीशोल, डुमरिया
5	32	राम प्रसाद मुर्मू	पिता- दूला मुर्मू	Q.No-5xn, Cross road-21, सिदगोड़ा, जमशेदपुर
6	33	दुर्गा चरण पड़ैया	पिता- हाडु पड़ैया	मरांग सोनगा, भागाबांधी, डुमरिया

पिछड़ा कोटि में नियुक्त अभ्यर्थियों की सूची

क्रम	मेधा क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	पता
1	16	अभिजीत बेरा	पिता- तारापद बेरा	पो0-केशरदा, थाना-बहरागोड़ा
2	30	प्रियंका दत्ता	पिता- देव दास दत्ता	ग्रा0-माचा, पटमदा

अ0पि0वर्ग कोटि में नियुक्त अभ्यर्थियों की सूची

क्रम	मेधा क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	पता
1	18	अजय कुमार महतो	पिता- मृगेन्द्र नाथ महतो	हो0नं0-26, इन्दबोनी, पो0-मुड़ाल
2	21	राजेश रंजन	पिता- अशोक कुमार	परसुडीह, हलुदबनी, शिव मंदिर रोड, जमशेदपुर


उपरोक्त सभी नियुक्त कनीय अभियंता नियुक्ति पत्र निर्गत की तिथि से 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपना योगदान जिला पंचायत कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर में समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। योगदान के समय शैक्षणिक योग्यता, उच्चतर योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र (नियोजन हेतु)(अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत), आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों का जाति प्रमाण पत्र (नियोजन हेतु)(अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत) की मूल प्रति एवं स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति साथ लाना सुनिश्चित करेंगे।

● **संविदा पर नियुक्त होने वाले कर्मियों की सेवा शर्तें निम्नवत् होगी :-**

1. संविदा के आधार पर नियुक्ति एक वर्ष के लिए की जा रही है। इस कालवधि के पूर्ण होने पर सम्पन्न कार्यों की समीक्षा की जायेगी। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर अगले एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा। नवीकरण नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

✓


2. यदि कोई कार्यरत पदाधिकारी/कर्मि ऐसी नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहेगा तो उसे अपने नियंत्रि पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी को इसकी लिखित सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलब्धि जमा करनी होगी। इसके विपरीत यदि नियुक्त पदाधिकारी/कर्मि की सेवा की आवश्यकता नहीं हो तो उसे एक माह की लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर कार्यरत पदाधिकारी/कर्मि की सेवा समाप्त कर सकेंगे। परन्तु कार्य असंतोष पाये जाने पर कार्यरत पदाधिकारी/कर्मि की सेवा नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा किसी भी वक्त समाप्त की जा सकेगी।
3. उपर्युक्त अवधि में संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मि को किसी अन्य स्थान/संस्था इत्यादि में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
4. संविदा अवधि में नवीकरण कर्मियों के क्षमताओं, निधि की उपलब्धता तथा योजना की अवधि को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा।
5. कार्य संतोषजनक पाये जाने पर मानदेय में 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दी जायेगी।
6. आवेदक को देय एकमुश्त वेतन के अन्तर्गत ही यात्रा, दूरभाष एवं इंटरनेट की सुविधा सम्मिलित होगी।
7. आवेदक को योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा व्यय का भुगतान किया जायेगा।
8. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अवकाश संविदा कर्मियों को देय होगा।
9. नियुक्त कर्मियों को विभाग द्वारा तैयार किये गये अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा।
10. यह संविदा आधारित नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है तथा सेवा से किसी भी समय बिना कारण दर्शाये समाप्त की जा सकती है।


 उपायुक्त, 21.2.17
 पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

ज्ञापांक 197/जि0प0 दिनांक 25/2/17.....

प्रतिलिपि :- सभी सम्बन्धित कनीय अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


 उपायुक्त, 21.2.17
 पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।